[2021] 2 एस. सी. आर. 570

भारत का संघ

वी.

प्रतीक शुक्ला

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 284)

08 मार्च, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और

एम. आर. शाह, जे. जे.]

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985:

एस. 37- शिकायत यू / अधिनियम की धारा 8,9 ए, 25 ए, 23 और 29-यह आरोप लगाते हुए कि प्रतिवादी एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा था

नियंत्रित पदार्थ के स्थानांतरण में शामिल-उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत-सर्वोच्च न्यायालय में अपील-आयोजितः यू/एस द्वारा प्रदान किए गए कानूनी मानदंडों को लागू किए बिना जमानत दी गई थी। 37-जमानत देने के कारण अपराध की गंभीरता को दर्शाते नहीं हैं-जमानत रद्द की जा सकती है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. प्रत्यक्षतः, उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों और विशेष रूप से, के लिए दिमाग का कोई अनुप्रयोग नहीं किया गया है

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध से जुड़े आरोपों की गंभीरता। केवल पक्षकारों की दलीलें दर्ज करना न्यायिक का संकेत नहीं है या उस मामले के लिए, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा मूल प्रश्न पर विवेकपूर्ण तरीके से विचार करना नहीं है कि क्या जमानत दी जानी चाहिए। [पैरा 11] [575-डी-ई] 2.1 एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 37 के प्रावधान कानूनी मानदंड प्रदान करते हैं जिन्हें यह निर्धारित करने में लागू किया जाना है कि क्या जमानत देने का मामला बनाया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा कानून को लागू करने के अपने कर्तव्य का गंभीर उल्लंघन किया गया है। जमानत देने का आदेश एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी जानी चाहिए या नहीं, यह निर्धारित करने में शामिल कानूनी सिद्धांतों के बारे में जागरूकता से निर्दोष है।

[पैरा 11] [575-ई-एफ]

2.2 उच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से मंजूरी देने में उचित नहीं था

जमानत और उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए कारण, अपराध की गंभीरता के लिए दिमाग के अनुप्रयोग को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं जो है -

शामिल हैं। प्रत्यर्थी के खिलाफ आरोपों से संकेत मिलता है कि वह एक नियंत्रित पदार्थ के डायवर्जन में शामिल एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का सदस्य था; इसलिए, केवल यह कहते हुए कि

यह कि प्रत्यर्थी एक शिक्षित व्यक्ति के रूप में प्रौद्योगिकी स्नातक के साथ "कोई अपराध नहीं कर सकता है" एक बाहरी परिस्थिति है जिस पर उच्च न्यायालय को एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध के लिए जमानत देते समय विचार नहीं करना चाहिए था। यह निर्धारित करते हुए कि प्रतिवादी को जमानत दी जानी चाहिए, उच्च न्यायालय ने परिस्थितियों पर गलती से कानून लागू किया है। [पारस 12 और 13] [576-डी-ई]

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं।

284 2021 का मिश्र में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 07.05.2019 से। 2019 का जमानत आवेदन संख्या 9873।

प्रवीण अग्रवाल, गौतम कुमार लाहा, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

के. एम. नटराज, एएसजी। , सुश्री बीनू टम्टा, वत्सल जोशी, शरत एन. नाम्बियार, बी. वी. बलराम दास, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

पी. आर. राजहंस, ज्योति कुमार सिंह, श्रीमती पारोमा सेनगुप्ता, विशाल अरुण, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. देरी को माफ कर दिया गया।

2. छुट्टी दे दी गई।

3. यह अपील 7 मई 2019 को इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के एक फैसले और आदेश से उत्पन्न होती है। जो जमानत प्रत्यर्थी को दी गई थी, जिस पर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराधों में शामिल होने का आरोप है।

4. आरोप है कि 18 अक्टूबर 2018 को दिल्ली के मादक पदार्थ विभाग के एक खुफिया अधिकारी को गुप्त सूचना मिली थी।

नियंत्रण ब्यूरो 2 ने कहा कि एसिटिक एनहाइड्राइड की एक बड़ी मात्रा को अल्ट्राइस्ट केमिकल्स प्राइवेट के नाम से एक कंपनी द्वारा खरीदा गया था। सीमित 3; और यह कि कंपनी ने अप्रैल-जून 2018 और जुलाई-सितंबर 2018 के लिए अपनी तिमाही विवरणी जमा नहीं की थी, जैसा कि इसके तहत आवश्यक है

1 "एन. डी. पी. एस. अधिनियम"

2 " एन. सी. बी "

कंपनी "[2021] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (नियंत्रण पदार्थों का विनियमन) आदेश 2013। यह आरोप लगाया गया है कि डायवर्जन के संदेह के आधार पर, एन. सी. बी. की एक टीम, ए. जी. ब्लॉक, सेक्टर 45, नोएडा में स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के लिए रवाना हुई। जब परिसर में ताला लगा हुआ पाया गया तो मालिक को मौके पर बुलाया गया। मालिक ने कथित तौर पर एन. सी. बी. की टीम को सूचित किया कि परिसर एक व्यक्ति को दिया गया था। हिमांशु राणा के नाम से, जो प्रतिवादी के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत में सह-आरोपी है। ताला तोड़ दिया गया था, जिस पर 896 ग्राम एसिटिक एनहाइड्राइड और 1.885 किलोग्राम एम्फेटामाइन की मात्रा कथित तौर पर परिसर में पाई गई है। तलाशी के दौरान, मेसर्स ग्रिफिन इंटरनेशनल नाम की एक कंपनी से संबंधित दस्तावेज पाए गए और यह पता चला कि प्रतिवादी और बिस्मिल्लाह खान अहमदजई नाम का एक अफगान नागरिक कंपनी के निदेशक थे। प्रतिवादी और हिमांशु राणा को नोटिस जारी किए गए, जिसके बाद प्रतिवादी का बयान एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज किया गया। इसमें है।

आरोप लगाया गया है कि इस खुलासे से पता चला है कि नियंत्रित पदार्थ, एसिटिक एनहाइड्राइड की एक बड़ी मात्रा खरीदी गई थी और गाजियाबाद के गाँव करहेड़ा में स्थित एक गोदाम में भेज दी गई थी। परिसर की तलाशी और जब्ती के दौरान, 9650 किलोग्राम एसिटिक एनहाइड्राइड की मात्रा कथित रूप से बरामद की गई और एसिटिक एनहाइड्राइड के खाली ड्रम भी पाए गए। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत शम्सुद्दीन और बिस्मिल्लाह खान अहमदजई को भी नोटिस जारी किए गए थे। यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी, सह-आरोपी हिमांशु राणा और शम्सुद्दीन ने खुलासा किया कि बिस्मिल्लाह खान अहमदजई उस कंपनी के निदेशक हैं जो उसके दिन-प्रतिदिन के मामलों में शामिल है। बिस्मिल्लाह खान अहमदजई जाहिरा तौर पर अमेरिका में रह रहे थे और भारत लौटने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। शम्सुद्दीन कारीजादा के आवासीय परिसर की तलाशी ली गई और कथित तौर पर 500 ग्राम एसिटिक एनहाइड्राइड बरामद किया गया। यह आरोप लगाया गया है कि 21 अक्टूबर 2018 को प्रतिवादी के आवासीय परिसर में तलाशी ली गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित की बरामदगी हुई:

((i)

मोहित कौशिक के नाम से जारी एक हथियार लाइसेंस,

जिसमें सह-अभियुक्त हिमांशु राणा की तस्वीर थी।

((ii) प्रत्यर्थी की एक चेक बुक और प्रत्यर्थी का नाम और पता रखने वाली स्काईलाइन कंपनी नामक एक इकाई; (iii)
ग्रिफिन इंटरनेशनल, शिव शक्ति ट्रेडिंग कंपनी और कंपनी (अल्ट्राइस्ट केमिकल्स प्राइवेट) के रबर टिकट।

लिमिटेड); यूनियन ऑफ इंडिया बनाम। प्रतीक शुक्ला

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

((iv) धर्मेंद्र के बीच एक किराया समझौता निष्पादित किया गया।

स्काईलाइन के मालिक पांडे और मोहित कौशिक

अंतर्राष्ट्रीय;

एक कंपनी का पत्र शीर्ष और आयात-निर्यात प्रमाण पत्र

(v)

व्हाइट वर्ल्ड मल्टी केन (आई) प्राइवेट लिमिटेड, जिसने सह-अभियुक्त पवन कुमार शर्मा के नाम का निदेशक के रूप में उल्लेख किया था, लेकिन उस पर

प्रतिवादी; और

(vi) कुछ बैंक दस्तावेज-एन. सी. बी. को संबोधित पत्र और सह-अभियुक्त हिमांशु राणा और उनके बीच एक समझौता।

बिस्मिल्लाह खान अहमदजई।

5. उत्तरदाता को इस दौरान गिरफ्तार किया गया था

22 अक्टूबर 2018 को जांच। 27 अक्टूबर 2018 की प्रयोगशाला रिपोर्ट ने कथित तौर पर एसिटिक एनहाइड्राइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति की पुष्टि की, हालांकि एम्फ़ैटेमिन की उपस्थिति विशेष रूप से दर्ज नहीं की गई है और इसे आगे के सत्यापन के लिए भेजा गया है। इस साक्ष्य के आधार पर, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8,9 ए, 25 ए, 23 और 29 के तहत अपराधों के लिए 21 दिसंबर 2018 को एक शिकायत दर्ज की गई थी। यह आरोप लगाया गया था कि सभी आरोपी एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के सदस्य थे और नियंत्रित पदार्थ के डायवर्जन, अवैध भंडारण, बिक्री, खरीद और निर्यात की साजिश में शामिल थे।

6. प्रतिवादी ने जमानत याचिका दायर की जिसे शुरू में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तृतीय, गौतम बुद्ध नगर ने 6 फरवरी 2019 को खारिज कर दिया था। इसके बाद, उच्च न्यायालय के समक्ष एक जमानत याचिका दायर की गई, जिसके परिणामस्वरूप 7 मई 2019 का विवादित आदेश आया।

7. अपीलार्थी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री के. एम. नटराज प्रस्तुत करते हैं किः

प्रत्यर्थी पर एक अंतरराष्ट्रीय संगठन का हिस्सा होने का आरोप है।

((i)

एक नियंत्रित पदार्थ के मोड़ में शामिल सिंडिकेट;

((ii) प्रत्यर्थी अल्ट्राइस्ट केमिकल्स प्राइवेट का निदेशक है।

सीमित;

((ग) जांच के दौरान बरामद की गई आपत्तिजनक सामग्री को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि शिकायत में बताया गया है, प्रथम दृष्टया प्रतिवादी की भागीदारी।

प्रत्यक्ष रूप से अस्तित्व में दिखाया गया है; सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(iv) एन. डी. पी. एस. अधिनियम के गंभीर उल्लंघन से जुड़े मामले में, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश को मंजूरी देना उचित नहीं था।

जमानत;

(v) एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत, सबूत का बोझ अभियुक्त पर है न कि अभियोजन पक्ष पर और उच्च न्यायालय ने सबूत के बोझ को गलत तरीके से उलट दिया है; और

(vi) निश्चित रूप से कोई वैध कारण नहीं बताए गए हैं।

जमानत देने के लिए एकल न्यायाधीश का निर्णय।

8. 16 दिसंबर 2020 को इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसार, प्रतिवादी को सेवा प्रदान की गई है। 15 फरवरी 2021 को, कार्यवाही की सुनवाई 8 मार्च 2021 को पोस्ट की गई थी प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील का अनुरोध, जिसने हाल ही में उपस्थिति दर्ज की थी, एक जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए। एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है।

9. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने जवाबी हलफनामे को स्वीकार कर लिया है, जो प्रत्यर्थी की ओर से दायर किया गया है। प्रत्यर्थी का तर्क, जैसा कि इस न्यायालय के समक्ष विद्वान वकील श्री विशाल अरुण द्वारा निर्धारित किया गया है, यह है:

प्रत्यर्थी ने कंपनी के निदेशक के रूप में इस्तीफा दे दिया था

((i)

4 मई 2018 को जनवरी 2018 के महीने में कंपनी में शामिल हुए;

(ii) जनवरी 2018 से मार्च 2018 की अवधि के लिए एसिटिक एनहाइड्राइड के संबंध में तिमाही विवरणी प्रस्तुत की गई थी।

एन. सी. बी. का संबंधित कार्यालय;

(iii) 4 मई 2018 को अपने इस्तीफे के बाद, प्रतिवादी का कंपनी के साथ कोई संबंध नहीं रहा है और हो सकता है कि उसे गिरफ्तार न किया जाए।

तिमाही विवरणी दाखिल न करने के लिए उत्तरदायी;

(iv) ट्रायल कोर्ट के समक्ष दायर किए गए दस्तावेज़ों से संकेत मिलता है कि नियंत्रित पदार्थ के लिए कथित खरीद आदेश के साथ-साथ परिसर में डिलीवरी भी की जाती है।

कंपनी के इस्तीफे के बाद हुआ

उत्तरदाता;

(v) प्रत्यर्थी द्वारा कंपनी में निदेशक के पद से इस्तीफा देने के बाद, उन्हें सूचना दी गई थी

22 मई 2018 को एन. सी. बी. और भारत संघ बनाम।

प्रतीक शुक्ला

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

(vi) खरीद आदेश जून 2018 के महीने से हैं, जिस तारीख तक प्रतिवादी का इससे कोई संबंध नहीं था।

कंपनी।

10. जमानत देने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की शुद्धता के संदर्भ में प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों के गुणागुण का मूल्यांकन करते समय, शुरुआत में, उन कारणों पर ध्यान देना आवश्यक होगा जो ऐसा करने में उच्च न्यायालय के साथ थे। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी और एन. सी. बी. के विद्वान वकील की दलीलें दर्ज करते हुए जमानत देने के लिए निम्नलिखित कारणों का संकेत दिया हैः

" प्रस्तुतियों पर विचार करने और रिकॉर्ड पर सामग्री का अवलोकन करने के बाद, मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक किसी भी अपराध का दोषी नहीं हो सकता है और अपने स्वच्छ अतीत और एक शिक्षित व्यक्ति होने के कारण व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया कि, उसके पास स्नातक की डिग्री है

प्रौद्योगिकी (B.Tech.) भविष्य में कोई अपराध न करें, मेरा विचार है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। ”

11. प्रत्यक्षतः, उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिद्वंद्वी दलीलों और विशेष रूप से एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध से जुड़े आरोपों की गंभीरता पर कोई विचार नहीं किया गया है। केवल पक्षकारों की दलीलें दर्ज करना न्यायिक का संकेत नहीं है या उस मामले के लिए, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा मूल प्रश्न पर विवेकपूर्ण तरीके से विचार करना नहीं है कि क्या जमानत दी जानी चाहिए। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 37 के प्रावधान कानूनी मानदंड प्रदान करते हैं जिन्हें यह निर्धारित करने में लागू किया जाना है कि क्या जमानत देने का मामला बनाया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा कानून को लागू करने के अपने कर्तव्य का गंभीर उल्लंघन किया गया है। जमानत देने का आदेश एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी जानी चाहिए या नहीं, यह निर्धारित करने में शामिल कानूनी सिद्धांतों के बारे में जागरूकता से निर्दोष है। का विवाद प्रत्यर्थी कि उसने कंपनी, अल्टूइस्ट केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड से इस्तीफा दे दिया था, का जिला और सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में दायर आपराधिक शिकायत में आरोपों के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। गौतम बुद्ध नगर (संलग्नक पी-6)। शिकायत का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

" 18. कि मामले की जाँच के दौरान, कंपनी के पंजीयक को कंपनी के निदेशकों आदि का विवरण प्रदान करने के लिए दिनांकित 27.11.2018 पत्र भेजा गया था, अर्थात यू/एस अल्टूइस्ट केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और इसकी रिपोर्ट दिनांकित 03.12.2018 पंजीयक [2021] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कंपनियों ने उक्त जानकारी प्रदान की और उक्त जानकारी/दस्तावेजों के अवलोकन से पता चलता है कि आरोपी प्रतीक शुक्ला और बिस्मिल्लाह खान निदेशक हैं। आरोपी हिमांशु राणा भी निदेशक थे लेकिन उन्होंने निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि उन्होंने कंपनी, यानी अल्ट्राइस्ट केमिकल प्राइवेट को पंजीकृत किया था। लिमिटेड, 001 पर, ब्लॉक अब-सेक्टर-45, नोएडा, जो एक आवासीय क्षेत्र है और आरोपी व्यक्तियों ने भी एन. सी. बी. से विशिष्ट पंजीकरण संख्या प्राप्त की।

उपरोक्त परिसर "।

12. हम इस स्तर पर उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत के लिए दायर आवेदन में प्रतिवादी के तर्क पर भी ध्यान दे सकते हैं।

(अनुलग्नक पी-8) कि उन्होंने कंपनी में अपनी 99 प्रतिशत हिस्सेदारी बिस्मिल्ला खान अहमदजई को हस्तांतरित कर दी थी। बिस्मिल्ला खान अहमदजई, जैसा कि अभियोजन पक्ष इस स्तर पर आरोप लगाता है, एक अफगान नागरिक है। जमानत के लिए आवेदन जो उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था और साथ ही जवाबी हलफनामा जो वर्तमान कार्यवाही में दायर किया गया है, अधिक दबा देता है

जो वे प्रकट करते हैं। चाहे जो भी हो, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय जमानत देने और कारणों को स्पष्ट रूप से उचित नहीं ठहराता था

उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रावधान, जैसा कि हम पहले ही ऊपर संकेत दे चुके हैं, अपराध की गंभीरता के प्रति विवेक के अनुप्रयोग को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं जो इसमें शामिल है। यह संकेत देना कि प्रत्यर्थी एक शिक्षित व्यक्ति के रूप में प्रौद्योगिकी स्नातक के साथ "कोई अपराध नहीं कर सकता है" एक बाहरी परिस्थिति है जिसे एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए जमानत देने में उच्च न्यायालय के साथ वजन नहीं करना चाहिए था। 13. उपरोक्त कारणों से, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को जमानत देने के निर्णय पर पहुंचने में तथ्यों पर कानून को गलत तरीके से लागू किया है। हम तदनुसार अपील की अनुमति देते हैं और 7 मई 2019 के उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और आदेश को खारिज कर देते हैं। परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी को दी गई जमानत रद्द कर दी जाएगी। प्रत्यर्थी इस न्यायालय के वर्तमान आदेश द्वारा जमानत रद्द किए जाने के परिणामस्वरूप तुरंत आत्मसमर्पण करेगा।

14. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

अपील की अनुमति दी गई।

कल्पना के. त्रिपाठी